

(6) Fee— The annual fee for grant of license shall be as under—		
(I) For Architect Structural Engineer, Engineering and Town Planner	-	Rs. 1500/-
(II) For Supervisor	-	Rs. 750/-
(III) For a Group or Agency	-	Rs. 3750/-
(IV) Geo Hydrologist.	-	Rs. 1500/-
(V) Fire Officer	-	Rs. 1500/-
(VI) Construction Engineer	-	Rs. 1500/-
(VII) Geo Technical Engineer	-	Rs. 1500/-
(VIII) Quality Auditor	-	Rs. 1500/-
(IX) Quality Audit Agency	-	Rs. 3750/-
(X) Construction Management Agency	-	Rs. 3750/-

(7) A licence may be renewed for similar period after the expiry of the period of the original licence on payment of fee prescribed in sub-rule (6).

(8) **Competence of the licensee.**—A licensee shall work in accordance with the terms of his licence.

<sup>1</sup>(9) A licensed Architect/Structural Engineer/Engineer/Town Planner/GeoHydrologist/Fire Officer/Construction Engineer/Geo Technical Engineer/Quality Auditor/Quality Audit Agency/Construction Management Agency shall be competent to perform the duties indicated under each.

(A) **Architect-Competence**— The licensed Architect shall be competent to carryout the work related to the permission for building and shall be entitled to submit :

- All plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height;
- structural details and calculations for residential buildings on plot up to 500 square metres and up to three storeys or 11 metres in height;
- certificate of supervision and completion of all buildings;
- all plans and related information connected with permission for development of area up to <sup>2</sup>2 hectare]; and
- certificate of supervision for development of land area up to <sup>3</sup>2 hectare].

(B) **Structural Engineer-Competence**— The licensed Structural Engineer shall be competent to carry out the work relating to permission of building etc. and shall be entitled to submit :

- <sup>4</sup>[(a) All plans and information connection with permission for buildings irrespective of size and height];
- the structural details and calculations for all buildings;
- certificate of supervision and completion so all buildings;
- all plans and related information connected with permission for development of area up to one hectare;
- certificates of supervision for development of land area up to one hectare.

<sup>1</sup> Subs. by Notfn. No. 318/1193/32/2006, dated 17-2-2009.

<sup>2</sup> Subs. by Notfn. No. 502/2010/32, dated 9-9-2011.

(6) **फीस-** अनुज्ञप्ति मंजूर करने की वार्षिक फीस निम्नानुसार होगी-

(एक) वास्तुविद् संरचना इंजीनियर, इंजीनियर तथा नगर योजनाकार के लिए	:	रु. 1500/-
(दो) पर्यवेक्षकों के लिए	:	रु. 750/-
(तीन) समूह या एजेन्सी के लिए	:	रु. 3750/-
(चार) जियो हाइड्रोलॉजिस्ट	:	रु. 1500/-
(पांच) अग्नि शमन अधिकारी	:	रु. 1500/-
(छः) निर्माण इंजीनियर	:	रु. 1500/-
(सात) भूगर्भ यांत्रिकी इंजीनियर	:	रु. 1500/-
(आठ) गुणवत्ता संपरीक्षक	:	रु. 1500/-
(नौ) गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी	:	रु. 3750/-
(दस) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी	:	रु. 3750/-]

(7) मूल अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर उप नियम (6) में विहित फीस का भुगतान करने पर उसी अवधि के लिये अनुज्ञप्ति नवीकृत की जा सकेगी।

(8) **अनुज्ञप्ति की सक्षमता** - अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अनुसार कार्य करेगा।

<sup>1</sup>(9) कोई वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/नगर योजनाकार/जियो हाइड्रोलॉजिस्ट/अग्निशमन अधिकारी/निर्माण इंजीनियर/भूगर्भ यांत्रिकी एजेन्सी प्रत्येक नीचे दर्शाए गये कर्तव्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

(क) **वास्तुविद्-सक्षमता** :- कोई भी अनुज्ञप्ति वास्तुविद् नीचे दिये गये अनुसार भवन के लिए अनुज्ञा से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- सभी भवनों, चाहे वे किसी भी आकार तथा ऊँचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं।
- 500 वर्गमीटर तथा तीन मंजिले या ऊँचाई 11 मीटर तक के आवासीय भवनों के लिए संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएं।
- सभी भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण-पत्र।
- <sup>2</sup>दो हेक्टेयर तक के क्षेत्र विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सूचनाएं।
- <sup>3</sup>दो हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र।

(ख) **संरचना इंजीनियर-सक्षमता** :- अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर भवन आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य कार्यान्वित करने के लिये सक्षम होगा तथा निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- <sup>4</sup>[(क) सभी भवनों, चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊँचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं।]
- समस्त भवनों के लिये संरचनात्मक ब्यौरे तथा गणनाएं।
- समस्त भवनों के पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण पत्र।
- एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक और उनसे संबंधित सूचनाएं।
- एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के भूमि विकास के लिए पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र।

1. अधिसूचना क्र. 318/1193/32/2006, दिनांक 17-2-2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना क्र. एफ. 1-21/2010/32, दिनांक 9-9-2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(C) **Engineer-Competence**— The licensed Engineer shall be competent to carry out the work related to the permission for building as given below and shall be entitled to submit :

- <sup>1</sup>[(a) all plans and information connected with permission for all building irrespective of size and height];
- (b) structural details and calculation for all buildings up to 500 square meters and four stories (15m);
- (c) certificate of supervision and completion for all building;
- (d) all plans and related information connected with permission for development of area up to 1 hectare; and
- (e) certificate of supervision for development of land of area up to 1 hectare;

(D) **Supervisor-Competence** — The licensed Supervisor shall be entitled to submit :

- (a) all plans and related information connected with the permission for residential buildings up to 200 square meters and up to two storeys entitled to submit;
- (b) certificate of supervision for building in (a).

(E) **Town Planner-Competence**— The licensed Town Planner shall be entitled to submit :

- (a) all plans and related information connected with the permission for development of all areas;

<sup>2</sup>[**Note.**— However for land layouts for development permit above 5 hectare in area, landscape architect shall also be associated and for land development infrastructural services for roads, water supplies, sewerage/drainage, electrification etc., the registered engineers for utility service shall be associated.]

- (b) certificate of supervision for development of land of all areas.

(F) **Group or Agency**— When an agency or a group of qualified Architects, Engineers, Town Planners is practicing, then the qualification and competence of work shall be the combination of the individual qualifications and competence.

(G) **Geo Hydrologist-Competence**— The registered Geo Hydrologist shall be competent to carry out the following work related to development and building permission and shall be entitled to submit the following—

- (a) Roof top rain water harvesting system shall be installed on roof top of all the buildings of all use category.
- (b) Take necessary action, against Government Organisation, Private Developers, Cooperative Housing Societies who draw ground water in proposed new colony layouts except LIG & EWS section. Develops separate network for recharging ground water by water supply, drainage, sewerage and roof top rain water harvesting.

(H) **Fire Officer-Competence**— The registered fire fighting officer shall be competent to carry out the work related to permission for building and shall entitled to submit following :

(ग) **इंजीनियर-सक्षमता** :- अनुज्ञप्त इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण के लिए अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- <sup>1</sup>[(क) सभी भवनों, चाहे वे किसी भी आकार एवं ऊंचाई के हों, की अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा सूचनाएं।]
- (ख) 500 वर्गमीटर तथा चार मंजिले (15 मीटर ऊंचाई) तक के भवनों के लिए संरचना ब्यौरे एवं गणनाएं।
- (ग) सभी भवनों का पर्यवेक्षण तथा पूर्णता का प्रमाण-पत्र।
- (घ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी मानचित्र तथा संबंधित सूचना।
- (ङ) एक हेक्टेयर तक के क्षेत्र के विकास हेतु पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र।

(घ) **पर्यवेक्षक-सक्षमता** :- अनुज्ञप्त पर्यवेक्षक निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (क) 200 वर्ग मीटर और दो मंजिले आवासीय भवनों के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी मानचित्रों तथा संबंधित जानकारी।
- (ख) ऊपर (क) में भवनों का पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र।

(ङ) **नगर योजनाकार-सक्षमता** :- अनुज्ञप्त नगर योजनाकार निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (क) सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी।

<sup>2</sup>[**टीप-** तथापि, 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के विकास अनुज्ञा हेतु, भूमि अभिन्यास के लिये लैण्डस्केप आर्किटेक्ट को भी सहबद्ध किया जायेगा एवं मार्ग, जल-आपूर्ति, सिवरेज/ड्रेनेज विद्युतीकरण इत्यादि भूमि विकास अधोसंरचनात्मक सेवाओं के लिए जनोपयोगी सेवाओं हेतु पंजीकृत इंजीनियरों को सहबद्ध किया जावेगा।]

- (ख) सभी क्षेत्रों की भूमि के विकास संबंधी पर्यवेक्षण प्रमाण-पत्र।

(च) **समूह या एजेंसी** :- जब अर्हता प्राप्त वास्तुविद/इंजीनियर/नगर योजनाकार की कोई एजेंसी या समूह कार्य कर रहा हो तो अर्हता या कार्य की सक्षमता, वैयक्तिक अर्हता तथा सक्षमता का समुच्चय होगी।

(छ) **जियो हाइड्रोलॉजिस्ट-सक्षमता** :- पंजीकृत जियो हाइड्रोलॉजिस्ट नीचे दिये अनुसार विकास एवं भवन निर्माण अनुज्ञा से संबंधित कार्य कार्यान्वित करने के लिये सक्षम होगा तथा निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (क) समस्त उपयोगों के भवनों में "रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग" प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित करायेगा।
- (ख) शासकीय अधिकरणों, निजी विकासकर्ताओं, सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा प्रस्तावित नई योजनाओं के ले-आउट प्लान में कमजोर एवं अल्प आय वर्ग को छोड़कर भूगर्भीय जल स्रोत से जल के दोहन में कार्यवाही की जायेगी। जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सिवरेज तथा रूफ टॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल स्रोत की रिचार्जिंग हेतु पृथक-पृथक नेटवर्क का प्रावधान करायेगा।

(ज) **अग्निशमन अधिकारी-सक्षमता** :- पंजीकृत अग्निशमन अधिकारी भवन निर्माण अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (a) Fire Fighting Officer shall ensure that fire fighting arrangements are done in all buildings under construction as per N.B.C.C. Part-IV.

(I) **Construction Engineer-Competence**— The Registered Construction Engineer shall be competent to carry out the work related to permission for buildings and shall be entitled to submit following :

- (a) Construction Engineer shall specially ensure that building construction work is carried out in accordance with the design approved by Structural Engineer with respect to structural safety and earthquake.  
(b) He shall ensure the quality of main building material such as cement, steel, bricks, sand and gitti used in building construction.

(J) **Geo Technical Engineer-Competence**— A registered Geo Technical Engineer shall be competent to carry out the work related to the permission for building and shall be entitled to submit the following :

- (a) Shall work as per the provisions of National Building Code Part-IV.

(K) **Quality Auditor-Competence**— A registered Quality Auditor shall be competent to carry out following work related to building construction :

- (a) The construction work of a high-rise building executed by Construction Management Agency shall be under an independent quality inspection programme prepared and implemented under the supervision of an independent Quality Auditor.

(L) **Quality Audit Agency**— A registered Quality Audit Agency shall be competent to carry out following works related to high-rise building construction :

For all high-rise construction, it will be necessary to have an Independent Quality Inspection Programme, which will be determined and executed by and independent Quality Audit Agency.

- (a) At the time of seeking permission from Competent Authority for starting construction of a high-rise building Construction Management Agency shall submit an undertaking from Quality Audit Agency.  
(i) The Quality Audit Agency is agreeable to accept the assignment to implement the quality inspection programme. And that the appointed Quality Audit Agency is acceptable to the Owner/Developer.  
(ii) The Quality Audit Agency will get all the testing of building materials, concrete etc. done by an independent approved testing laboratory.  
(b) During construction of a high-rise building, the Quality Audit Agency shall carry out necessary testing of materials as well as non-destructive testing of structural components with the help of approved testing laboratory and submit to the Construction Management Agency and the owner/developer the reports as per quality inspection programme.  
(c) Upon completion of the construction of high-rise building, the Quality Audit Agency shall submit the report and certificate in the prescribed format based on the quality inspection programme. This report and certificate will be submitted to the Construction Management Agency

- (क) अग्नि शमन अधिकारी निर्मित होने वाले भवन में अग्नि शमन की व्यवस्था एन.बी.सी.सी. भाग IV के प्रावधानों के अनुसार करायेगा।

(झ) **निर्माण इंजीनियर-सक्षमता** :- पंजीकृत निर्माण इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कार्य करने के लिए सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (क) निर्माण इंजीनियर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु संरचना इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी समस्त व्यवस्था के करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

- (ख) भवन निर्माण में मुख्य निर्माण सामग्री, सीमेन्ट, लोहा, गिट्टी, ईटें, रेत इत्यादि जो उपयोग में लाई जायेंगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

(ञ) **भूगर्भ यांत्रिकी इंजीनियर-सक्षमता** :- पंजीकृत भूगर्भ यांत्रिकी इंजीनियर नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण अनुज्ञा से संबंधित निम्नलिखित कार्य करने के लिये सक्षम होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

- (क) नेशनल बिल्डिंग कोड के भाग-4 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(ट) **गुणवत्ता संपरीक्षक-सक्षमता** :- पंजीकृत गुणवत्ता संपरीक्षक नीचे दिये अनुसार भवन निर्माण से संबंधित कार्य करने का हकदार होगा :

- (क) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी द्वारा किये गये ऊंचे भवन का निर्माण गुणवत्ता संपरीक्षक द्वारा तैयार किये गये गुणवत्ता निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत होगा तथा वह स्वतंत्र गुणवत्ता संपरीक्षक के परीक्षण के अधीन कार्यान्वित होगा।

(ठ) **गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी-सक्षमता** :- पंजीकृत गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी नीचे दिये अनुसार ऊंचे भवनों के निर्माण से संबंधित कार्य करने के लिए सक्षम होगा :

- समस्त ऊंचे भवनों के लिए स्वतंत्र निरीक्षण प्रोग्राम का होना आवश्यक होगा, जो स्वतंत्र गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी द्वारा निर्धारित एवं क्रियान्वित किया जावेगा।

- (क) सक्षम प्राधिकारी से ऊंचे भवन के लिए निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करते समय निर्माण प्रबंधन एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी को निम्नानुसार Undertaking प्रस्तुत किया जायेगा :-

- (1) गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी गुणवत्ता निरीक्षण प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु दिये गये दायित्व का निर्वहन करने हेतु सहमत है तथा नियुक्त गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी भूस्वामी/विकासकर्ता को मान्य है।

- (2) गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी समस्त भवन निर्माण सामग्री तथा कांक्रिट इत्यादि का परीक्षण एक स्वतंत्र अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला से करायेगा।

- (ख) ऊंचे भवन के निर्माण के दौरान गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी द्वारा निर्माण सामग्री के परीक्षण के साथ-साथ विध्वंसक रहित संरचना घटकों का परीक्षण अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला की मदद से करायेगा तथा गुणवत्ता निरीक्षण प्रोग्राम के अनुसार उपरोक्त रिपोर्ट गुणवत्ता प्रबंधन एजेन्सी तथा भवन स्वामी/विकासकर्ता को प्रस्तुत करेगा।

- (ग) ऊंचे भवनों के निर्माण के पूर्ण होने पर गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जो गुणवत्ता निरीक्षण प्रोग्राम के आधार पर होगी। यह रिपोर्ट एवं प्रमाण पत्र निर्माण प्रबंधन एजेन्सी तथा भवन स्वामी/विकासकर्ता को प्रस्तुत की जायेगी जो प्राधिकारी को भवन परीक्षण

- (d) All reports and other submission to the Construction Management Agency by Quality Audit Agency shall only be signed by Quality Auditor as proprietor, partner or as a designated officer of the company.

(M) **Construction Management Agency**— A registered Construction Management Agency shall be competent to carry out following work related to high-rise building construction :

- (a) At the time of seeking permission from Competent Authority for starting construction of a high-rise building owner shall submit as undertaking from Construction Management Agency.
- (i) The Construction Management Agency is agreeable to accept the assignment to execute the project as per designs, drawings and specifications.
- (ii) The Construction Management Agency shall install a Quality Assurance programme by retaining an independent Quality Audit Agency and submit a certificate concerning the same to the Owner/Developer as well as to Competent Authority. The appointed Quality Audit Agency shall be acceptable to the Owner/Developer.
- (b) Upon completion of the construction work of the high-rise building, the Construction Management Agency shall intimate to the Owner/Developer that the work has been carried out according to the design drawings and specifications and written instructions of Structural Engineer and as per guidance of the Quality Audit Agency.
- (c) The Construction Management Agency shall submit a report and certificate in the prescribed format from the Quality Audit Agency that the Quality Assurance Programme has been satisfactorily carried out on the construction work. This report and certificate shall be submitted to the Owner/Developer for final submission to Competent Authority.
- (d) All reports and other submissions to the Competent Authority by and on behalf of the Construction Management Agency shall only be signed by Construction Engineer as a proprietor, partner or by as a designated officer of the company.]

**27. Grant of permission or refusal.**— (1) The Authority may either sanction or refuse the plans and specification or may sanction them with such modifications or directions as it may deem necessary and thereupon shall communicate its decision to the person giving the notice (see Appendix D).

(2) In case of proposal for development work, if in the opinion of the Authority, the layouts of plots, or alignment of the street or accessway is not adopted to or would detrimentally affect the layout or development of adjoining lands, the Authority shall require the applicant to alter the layout as deemed necessary. The details of layout of roads of quality not less than 150 mm. W.B.M. Road, laying of water supply drainage lines to meet the requirement of water supply and sewage affluent of the population to

- (घ) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी एवं गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी को प्रस्तुत समस्त रिपोर्ट एवं अन्य प्रस्तुतीकरण प्रोपराइटर, भागीदार या कंपनी के द्वारा मनोनीत अधिकारी की हैसियत से गुणवत्ता संपरीक्षक द्वारा ही हस्ताक्षरित किये जावेंगे।
- (ड) **निर्माण प्रबंधन एजेन्सी** :- पंजीकृत निर्माण प्रबंधन एजेन्सी नीचे दिये अनुसार ऊँचे भवनों के निर्माण कार्य के लिए हकदार होगा :
- (क) ऊँचे भवन के निर्माण प्रारंभ करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करते समय भवन स्वामी निर्माण प्रबंधन एजेन्सी से प्राप्त undertaking प्रस्तुत करेगा :
- (1) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी परियोजना के दायित्व को रूपांकन, मानचित्र एवं प्राक्कलन के अनुसार करने हेतु सहमत है।
- (2) स्वतंत्र गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी द्वारा तैयार किये गये गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम को निर्माण प्रबंधन एजेन्सी लागू करायेगी तथा भवन स्वामी/विकासकर्ता के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी। नियुक्त गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी भवन स्वामी/विकासकर्ता को स्वीकार्य होगा।
- (ख) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी ऊँचे भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर भवन स्वामी/विकासकर्ता को सूचित करेगा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता परीक्षा एजेन्सी के मार्गदर्शन में तथा संरचना इंजीनियर के द्वारा दिये गये रूपांकन, मानचित्र, प्राक्कलन तथा लिखित निर्देशों के अनुसार किया गया है।
- (ग) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी गुणवत्ता संपरीक्षा एजेन्सी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता आश्वासन प्रोग्राम के अनुसार संतोषजनक रूप से पूर्ण हुआ है। यह प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र भवन स्वामी/विकासकर्ता को सक्षम प्राधिकारी को अंतिम अनुवर्तन हेतु प्रस्तुत करने हेतु प्रदान करेगा।
- (घ) निर्माण प्रबंधन एजेन्सी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत समस्त प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुतीकरण कंपनी के प्रोपराइटर, भागीदार अथवा मनोनीत अधिकारी की हैसियत से केवल पंजीकृत निर्माण इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित किये जावेंगे।]

**27. अनुज्ञा स्वीकृत करना या अस्वीकृत करना** - (1) प्राधिकारी, मानचित्र तथा विशिष्टियाँ या तो स्वीकृत कर सकेगा या उन्हें अस्वीकृत कर सकेगा या उन्हें ऐसे संशोधन या निदेशों के साथ जैसा वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकेगा और इसके पश्चात् नोटिस देने वाले व्यक्ति को अपना निर्णय संसूचित करेगा। [देखिए परिशिष्ट (घ)।]

(2) विकास कार्य के प्रस्ताव के मामले में यदि प्राधिकारी की राय में भू-खंडों के अभिन्यास मार्ग का सरिखण या पहुँचमार्ग, न बनाये गये हों या उससे अभिन्यास तथा संलग्न भूमि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, तो प्राधिकारी, आवश्यक समझे गये अनुसार, अभिन्यास में परिवर्तन करने के लिये आवेदक से कह सकेगा। अच्छी सड़कें जो 150 मि.मी. जलबद्ध मेकडेम से कम न हों, जल पूर्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल पूर्ति लाइनों डालने और नगरपालिका की मुख्य प्रवाह (मैन) के स्तर तक लोगों के मल प्रवाह की व्यवस्था संबंधी ब्यौरे जैसा प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाये, प्राधिकारी के संपूर्ण समाधान पूर्ण करने तक किये जायेंगे या स्वामी प्राधिकारी को